6.3.19

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./19/304 दिनांक 20.02.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 27.02.2019 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा उनके पत्रांक आर.टी.आई./2019/114 दिनांक 26.02.2019 द्वारा तारीख पेशी दिनांक 06.03.2019 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलान्ट को उनके कार्यालय के पत्रांक 96 दिनांक 15.01.2019 द्वारा वाछिंत सूचनाएं नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर कार्यालय से प्राप्त करने हेतु लिख दिया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.12.2018 को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 18.02.2019 तक भी प्रार्थी/ अपीलान्ट को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से प्राप्त पत्रांक आर.टी.आई/19/114 दिनांक 26.02.2019 से यह स्पष्ट है कि निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी आवेदक को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नही कराई गई, जबकि वांछित सूचनाऐं उनके कार्यालय से संबंधित थी।

अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें। इस हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर एवं प्रार्थी को पालना हेतु पत्र जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

6/3/19
पालना
प्र आर्य
जारी
788-89
23/4/19

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2019.11.26 13:09:42 IST
Reason: SelfAttested